न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 46 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 280**
दायर दिनांक :– 11.03.2024 **निर्णय दिनांक :– 25.10.2024**

1. गुरूदयालसिंह पुत्र ताराराम जाति बाजीगर निवासी मोन्दकला तह. जाखल जिला फतेहाबाद

प्रार्थी.....

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

अप्रार्थी.

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की खरीदशुदा काश्त भूमि ग्राम एकलथली पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 101 रकबा 161.0727 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी को 1326 / 19901 हैक्टेयर हिस्सा भूमि आती है जिस पर प्रार्थी काबिज है। जमाबंदी सम्वत 2075–2078 संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1326 / 19901 हिस्सा प्रार्थी के पिता ताराराम द्वारा अपने नाम से जरिये विक्रय पत्र के खरीद किया जिसमें प्रार्थी के पिता की जाती बाजीगर एवं निवासी स्थान मोन्दकला तहसील जाखल जिला फतेहाबाद ही अंकित था जब प्रार्थी के पिता ताराराम फौत हुवे तो मुतवफी ताराराम का फौतेदगी का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हुआ जिसमें भी प्रार्थी की जाति बाजीगर एवं निवासी स्थान मोन्दकला तहसील जाखल जिला फतेहाबाद दर्ज था लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा आगामी चौसाला तैयार करते समय भूलवश प्रार्थी की जाति जाटव तथा प्रार्थी के निवास का पता मंगोलपुरा दिल्ली दर्ज कर दिया जो मात्र एक लिपकीय त्रृटि है जिसको दुरूस्त किया जा सकता है इसलिये प्रार्थी ग्राम एकलथली पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 101 रकबा 161.0727 हैक्टेयर भूमि में दर्ज गुरूदयालसिंह पुत्र ताराराम जाति जाटव सा. मंगोलपुरा दिल्ली को दुरूस्त करवाकर गुरूदयालसिंह पुत्र ताराराम जाति बाजीगर सा. मोन्दकला तहसील जाखल जिला फतेहाबाद करवाने का हकदार हे जिस हेतु दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम एकलथली पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 101 रकबा 161.0727

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1326 / 19901 हिस्सा है जो पूर्व में प्रार्थी के नाम गुरूदयालसिंह पुत्र ताराराम जाति बाजीगर के अनुसार दर्ज थी वर्तमान में प्रार्थी की जाति एवं पता अलग दर्ज कर दिया गया है जिसको दुरूस्त कर पूर्वानुसार गुरूदयालसिंह पुत्र तारराम जाति बाजीगर सा. मोन्दकला दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि ग्राम एकलथली पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 101 रकबा 161.0727 हैक्टेयर 1326 / 19801 हिस्सा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता ने जरिये विक्रय पत्र खरीद की थी। प्रार्थी के पिता ताराराम फौत हुए तब विरासत नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख की गई। वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी की जाति व पता गुरूदयालसिंह पुत्र ताराराम जाति जाटव सा. 657–65 ब्लॉक जी मंगोलपुरी दिल्ली राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम, जाति व पता पूर्वानुसार गुरूदयालसिंह पुत्र ताराराम जाति बाजीगर सा. मोन्दकला है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं पैरोकार सरकार के जवाब इत्यादि से साबित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम एकलथली पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 101 रकबा 161.0727 हैक्टेयर 1326 / 19901 हिस्सा भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गुरूदयालसिंह पुत्र तारसम जाति जाटव सा. 657–65 ब्लॉक जी मंगोलपुरी दिल्ली के स्थान पर गुरूदयालसिंह पुत्र ताराराम जाति बाजीगर सा. मोन्दकला दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करे। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो. दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर ... जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested